

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2026

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-19 (1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति का विवरण पत्रक दिनांक 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

अतः विधान सभा सचिवालय में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी/कर्मचारी संपत्ति विवरणीय पत्रक स्थापना शाखा से प्राप्त कर आवश्यक पूर्ति उपरांत दिनांक 23 जनवरी, 2026 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

आदेश से,

हस्ताक्षर

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 106 /वि.स./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/01/2026
प्रतिलिपि:-

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
05. सर्वर कक्ष ।

हस्ताक्षर 05/01/26

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा